


**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक : 17 जनवरी, 2019  
संख्या-1/अ0-1001/2019-सा0प्र0- 782 /श्री रोशन कुशवाहा, भा0प्र0से0(2014), उप  
विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, छपरा को अखिल भारतीय  
सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-04.02.2019 से  
17.02.2019 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री रोशन कुशवाहा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में निदेशक, डी0आर0डी0ए0,  
सारण अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद्, छपरा के प्रभार में रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
17.1.19  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/अ0-1001/2019-सा0प्र0- 782 /पटना-15, दिनांक: 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र  
में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार वीरचन्द पटेल  
पथ, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव,  
मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/  
जिला पदाधिकारी, छपरा, सारण/श्री रोशन कुशवाहा, भा0प्र0से0(2014), उप विकास  
आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, छपरा / निदेशक,  
डी0आर0डी0ए0, सारण /सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1, 6 एवं 12) को सूचना एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.1.19  
(कन्हैया लाल साह)  
सरकार के अवर सचिव।